

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारी:- डॉ. अशोक कुमार RAS

पंचायत निगरानी संख्या : 48/2018

पंचायत समिति आमेर जिला-जयपुर जरिये विकास अधिकारी।

निगरानीकर्ता,

बनाम

1. ग्राम पंचायत बिलौची, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर जरिये सरपंच।
2. ओमप्रकाश खटीक पुत्र श्री केसरमल खटीक, ग्राम पंचायत बिलौची, तहसील आमेर, जिला-जयपुर।

गैर-निगरानीकर्तागण,

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध निर्णय दिनांक 07.09.2009 ग्राम पंचायत बिलौची, पंचायत समिति आमेर द्वारा ग्राम पंचायत में विपक्षी सं० 2 के पक्ष में जारीपट्टे के विरुद्ध यह निगरानी पेश की गई है।)

उपस्थित:-

1. श्री सत्यनारायण शर्मा, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. गैर-निगरानीकार सं० 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 31.03.2021

यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिलौची द्वारा दिनांक 07.09.2009 को निर्णय पारित कर आवासीय भूमि का पट्टा सं० 17 जारी करने पर पेश की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। निगरानी पेश होने पर गैर-निगरानीकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत बिलौची से मिसल प्राप्त की गई। गैर-निगरानीकार सं० 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकार की एकपक्षीय बहस सुनी। दौराने वहस विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम पंचायत बिलौची ने विधिक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए नियम 146 स्थल निरीक्षण के अनुसार कोई निरीक्षण शुल्क की रसीद नहीं काटी गई ना ही नियम 146(1) के अनुसार प्रपत्र 21 में रजिस्टर तैयार किया गया। नियमानुसार 200 रूपयें की रसीद काटकर पट्टा दिया जाना चाहिए था, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरुद्ध 260 रूपयें की रसीद काटकर पट्टा जारी किया गया है। इसके साथ ही नियमानुसार नक्शा शुल्क की रसीद भी नहीं काटी गई है ना ही नक्शा-नवीश के हस्ताक्षर हैं। ग्राम पंचायत बिलौची ने विधिक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए नियम 148(1)(2) के प्रपत्र 22 का नोटिस जारी किया गया है, परन्तु आपत्ति



नोटिस को डिस्पेच नहीं किया गया। यह नोटिस विधि विरुद्ध तरीके से 1 माह के स्थान पर 15 दिन का जारी किया गया है। जारी किये गये नोटिस/आपत्ति पत्र पर जारी करने की दिनांक व चरपादंगी पर साक्षी के हस्ताक्षर भी नहीं हुए हैं। पंचों की कमेटी द्वारा वादग्रस्त स्थल का निरीक्षण किये जाने का कार्यवाही विवरण तैयार किया गया है, परन्तु संबंधित पत्रावली में पंचों के हस्ताक्षर नहीं हैं। केवल मात्र सरपंच के ही हस्ताक्षर हैं। पट्टा पत्रावली में पंचायत द्वारा निर्णय लिखा गया है, परन्तु उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं। केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर हैं। राजस्थान पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 140 से 168 तक पट्टा जारी करने के प्रावधान हैं, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों का पालन नहीं कर घोर अवहेलना की है। गैर-निगरानीकार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पेश करते हुए निवेदन किया कि पंचायत समिति को वादग्रस्त आदेश दिनांक 07.09.2009 की जानकारी नहीं रही। जानकारी में आने पर तत्काल निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को उपसमन किया जा कर प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए डिले कण्डोन किया जावे। ग्राम पंचायत विलौची द्वारा राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 के नियमों की घोर अवहेलना करते हुए नियम विरुद्ध तरीके से निर्णय दिनांक 07.09.2009 पारित कर पट्टा सं० 2 विधि विरुद्ध तरीके से जारी किया गया है। अतः ग्राम पंचायत विलौची द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से पारित निर्णय दिनांक 07.09.2009 एवं उसकी अनुपालना में जारी किया गया पट्टा सं० 17 निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकार की बहस को गौरपूर्वक सुना गया। पंचायत समिति द्वारा प्रस्तुत निगरानी के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत करते हुए तथा दौरान बहस विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकार ने यह कथन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.09.2009 को पारित निर्णय सर्वथा नियम विरुद्ध है तथा उक्त निर्णय एवं पट्टे की जानकारी उनको नहीं थी। जानकारी प्राप्त होते ही उनके द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत तर्क के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा डिले कण्डोन किया जाता है।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आमेर द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं ग्राम पंचायत, विलौची द्वारा प्रेषित मूल पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह स्पष्ट है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा नियमों को दर-किनार करते हुए पट्टे जारी किये गये हैं। पत्रावली में आवेदक श्री ओमप्रकाश खटीक पुत्र: श्री केसरमल खटीक, निवासी-ग्राम पंचायत विलौची का प्रार्थना पत्र नहीं होना पाया गया है। सरपंच द्वारा बिना आवेदन किये ही पट्टे देने की कार्यवाही की गई है। आज्ञा सूची के अनुसार दिनांक 30.06.2009 को 3 वार्ड पंचों की कमेटी बनाई गई थी, जिसके कोई आदेश पत्रावली में नहीं होना पाये गये हैं। जांच कमेटी द्वारा दिनांक 30.06.2009 को ही निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित की गई है। प्रेषित रिपोर्ट में दिनांक में कांट-छांट कर संशोधन किया गया है। आज्ञाओ की सूची अनुसार दिनांक 30.06.2009 के बाद आज्ञा सूची में कोई भी दिनांक अंकित नहीं की गई है। बिना दिनांक की आज्ञा में 15 दिवस आक्षेप आमन्त्रित करने का नोटिस जारी




करने का प्रस्ताव लिया गया है। जबकि नियमानुसार 1 माह का आपत्तिकाल होता है। आपत्ति नोटिस का अवलोकन करने पर भी उसमें डिस्पेच नं० एवं दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। फैंसला फार्म में केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर हैं, सचिव के हस्ताक्षर नहीं होना पाये गये हैं। पट्टे में नक्शा नवीश के हस्ताक्षर होना नहीं पाया गया है। जिला परिषद, जयपुर द्वारा अवर सचिव (जांच) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ3 (252) जांच/परावि/आमेर/जय./12/1386 दिनांक 21.03.2012 के पालना में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर ग्राम पंचायत विलौची द्वारा जारी किये गये पट्टों की जांच कराई गई थी जिसमें जांच रिपोर्ट अनुसार पट्टे जारी करने की कार्यवाही केवल सरपंच स्तर पर ही किये जाने के कारण तत्कालीन सरपंच को दोषी माना गया है। इसी प्रकार संगामीय आयुक्त, जयपुर संभाग के आदेश क्रमांक पं.13 (1) (129) पं./12/898 दिनांक 22.05.2014 द्वारा भी श्री हीरालाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत विलौची द्वारा सरपंच पर रहते हुए कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार एवं अपकीर्तिकर आचरण किये जाने के कारण दोषी माना गया है।

अतः उक्त विवेचनानुसार पंचायती राज. विभाग के आदेश की पालना में गठित कमेटी एवं संगामीय आयुक्त, जयपुर संभाग द्वारा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत विलौची द्वारा नियम विरुद्ध जारी किये गये पट्टों के संबंध में दोषी माना गया है तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार भी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत विलौची द्वारा नियम विरुद्ध रूप से पट्टे जारी किया जाना पाया गया है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत विलौची द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2009 अपारत किया जाता है तथा सरपंच ग्राम पंचायत विलौची पंचायत समिति आमेर द्वारा जारी किया गया पट्टा स० 17 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.03.2021 सुनाया गया।




(डॉ. अशोक कुमार)
जयपुर जिलाधिकारी (नवसं.)
जयपुर